(b) whether there will be any library in this Institute, and if so, what amount Of money has been sanctioned for the same?]

शिक्षा मंत्री (डा० कालू लाल श्रीमाली) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) आरम्भ में, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के मुख्यतः दो तरह के कार्यक्रम होंगे :—

(अ) शिक्षण की आधुनिक पद्धति में संस्कृत शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ; और

(आ) संस्कृत ज्ञान की कुछ विशिष्ट शाखाओं में अनुसन्धान आयोजित करना ।

इसके लिये अध्यापकों, अनुसन्धान सहायकों आदि की नियुक्ति एवं उचित छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जा रही हैं ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति सोसाइटी के बजट अनुमानों में १९६२–६३ के लिए १०,००० रुपये की राशि सम्मिलित की गई है ।

THE MINISTER OP EDUCATION (DR. K. L. SHRIMALI): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The Kendriya Sanskrit Vidya-peetha will undertake the following programme to begin with—(i) training of Sanskrit teachers in the improved methods of teaching and (ii) conducting research in some of the specialized branches of Sanskrit learning.

For this necessary arrangements are being made to appoint suitable staff and to award scholarships to trainees and scholars.

(b) A sum of Rs. 10,000 has been included for this purpose in the budget estimates of the Kendriya Sanskrit Vidyapeetha Tirupati Society for the year 1962-63.]

लीव ट्रैवल कन्सैशन योजना

३३८. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लीव ट्रवल कन्सैशन योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उस से किन किन श्रेणियों के कर्मचारी लाभान्वित होते हैं ; और

(ख) क्या इस योजना को अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर भी लागू करने का विचार है ; और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

t [LEAVE TRAVEL CONCESSION SCHEME

338. SHRI NAWAB SINGH CHAU-HAN: Will the Minister of HOMK AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the salient features of the Leave Travel Concession Scheme, and the categories of the employees who are benefited by it; and

(b) whether it is proposed to extend it to other categories also; if not, the reason thereof?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एन० दातार) : (क) केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारी (अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी, राज्य सरकारों के वे कर्मचारी जिनकी प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार में हुई है तथा औद्योगिक व कार्य-प्रभार कर्मचारी इनमें शामिल हैं) जो नियमित छुट्टी के अधिकारी हैं इस रियायत के पात्र हैं । गृह मंत्रालय के ज्ञापन संख्या ४३/१/५५-एस्टैबलिशमेंट

t[ ] English translation.

(ए)—पीटी दिनांक ११-१०-१९५६ तथा संख्या ६/७/५९—एस्टेबलिशमेंट (ए) दिनांक १५-६-१९६० की प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है । [देखिए परिशिष्ट ३८, अनुपत्र संख्या ३५]

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि केन्द्रीय सरकार के सभी औद्योगिक तथा अनौद्योगिक नियमित कर्मचारियों को यह रिआयत प्राप्य है ।

I[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OP HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR): (a) All the employees of the Central Government (including members of All India Services, employees of State Governments on deputati'on with the Central Government industrial and work-charged staff) who are entitled to regular leave are eligible for the concession. A copy of Ministry of Home Affairs O.M. No. 43/1/55-Ests (A)-Pt., dated 11th October, 1956 and O.M. No. 6/7/59-Ests(A), dated 15th June, 1960 are laid on the Table of the House. *[See* Appendix XXXVIII, An-nexure No. 35.)

(b) Does not arise as the concession is already admissible to all regular Central Government servants, industrial and non-industrial.]

राज भाषा (विधायी) आयोग

३३९. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज भाषा (विधायी) आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्य कौन कौन हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'ना' हो, तो देरी का कारण क्या है और ये नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी ?

t[OFFICIAL LANGUAGE (LEGISLATIVE) COMMISSION

339. SHRI NAWAB SINGH CHAU-HAN: Will the Minister of LAW be pleased to state:

(a) whether all the members of the Official Language (Legislative) Commission have been appointed;

(b) if so, what are the names of the members of the Commission; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, what is the reason for the delay and by when these appointments will be made?]

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बी० मिश्रा) : (क) जी नहीं । आयोग के १८ सदस्यों में से अब तक चौदह व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है ।

(ख) आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं :—

(१) श्री सी० पी० सिन्हा—**अध्यक्ष**

(२) श्री बी० जी० मुद्धेश्वर—**उपाध्यक्ष**

सदस्य

(३) श्री मौलिचन्द्र शर्मा

(४) श्री घनश्याम सिंह गुप्त

(५) श्री एस० एन० भट्टाचार्य

अंशकालिक सदस्य

(१) प्रो० जी० सी० वेंकटासुब्बाराव

(२) श्री पी० एल० सोमे

(३) श्री यशोधर एन० मेहता

(४) श्री के० पद्मनाभन्

(५) श्री नजीर अहमदशाह

(६) श्री जी० सी० शर्मा

(७) श्री एस० एन० अग्रवाल, एम०एल०ए०

(८) श्री एस० एस० मोरे, एम०पी०

श्री बाल कृष्ण—**सदस्य सचिव**

(ग) आयोग में नियुक्त किये जाने के लिए सभी सदस्य चुन लिये गये थे किन्तु चार

t[ ] English translation.